संख्या-29 /2026/1362137-12-2002-8-2021

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या - 2569/कृ०र०/की०रो०नि०यो0/2025-26 दिनांक 23.03.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या 1362137/12-2002/8/2021-415/2026 दिनांक 28 अप्रैल, 2026 द्वारा कुल धनराशि रु० 4014+300.00 = 4314.00 लाख की निर्गत कार्ययोजना में प्रदेश में स्थित आई ०पी०एम० प्रयोगशालाओं/जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों हेतु कृषि रक्षा इकाई /केन्द्र / नवसृजित जनपदों मण्डलीय कार्यालयों का निर्माण एवं आई०पी०एम० प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण कार्य कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107 वनस्पति संरक्षण 04 विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण के मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

नियम एवं शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा ।

3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियेरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर निर्गत तद्सम्बन्धी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जायेगा ।

5. प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृतकी जा रही है । किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यवर्तन किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नही रखी जायेगी।

8. स्वीकृत धनराशि से निर्माण सामग्री आदि के क्रय हेतु क्रय सम्बन्धी सगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।

9. स्वीकृत निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी। इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियन्त्रक अधिकारी के नियर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

11. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्राहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

12. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की दिव्रावृत्ति न हो ।

13. योजना के क्रियान्वयन के दौरान क्रय से सम्बन्धित प्रक्रियाओं / सगत शासनादेशों / नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. व्यय प्रबन्धन् एवं शासकीय व्यय में मित्तव्ययिता के सम्बन्ध में वित विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-29 /2026/1362137-12-2002-8-2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक. (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
6. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / बजट अनुभाग-1/2 / कृषि अनुभाग 5 / नियोजन अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।